Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha

President

Mob. No.-9334118192



Sunil Kumar Tiwary General SecretaryMob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

=

Subodh Kumar 7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar 7717770977

Treasurer Shashi Shekhar

9334557086

ofc

Memo No 27

Date 12 04 2023

सेवा में,

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना

विषय:—भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office
Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक
में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 वीं एवं 47 वीं बैच के पदाधिकारियों को
पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या—1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01. 09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य किमयों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक I)। इसी क्रम में दिनांक—01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है ।नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.03 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.04 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने हेतु दिशा निदेश जारी किये गये हैं. जिसके कंडिका 4 में उल्लिखत प्रावधान निम्नवत है :—

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(अनुलग्नक II)

अतः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

- 1. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक III) एवं दिनांक—05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक IV) को किया गया था ।
- 2. इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका—6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक—31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक—14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका—6 में न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक—01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट—ऑफ डेट निर्धारित किया गया।
- 3. उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक—18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक— V) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक—24.01.2009 (अनुलग्नक— VI) को प्रकाशित किया गया ।
- 4. उपरोक्त अनुलग्नक— III, 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोतिगता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका—1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक—01.08.2000 तथा अनुलग्नक—IV, 47 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका—1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक—01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।
- 5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक—01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में हीं विज्ञापन प्रकाशित की गयी है।

6. इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या-21, दिनांक-13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या—10901/2006 मोंo क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक-VII) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश- It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable के आलोक में-"नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय'',अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक- VIII)।

7. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या-2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक- IX) भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है।

अतएव इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार के इस कदम का स्वागत करेगा। साथ ही इससे उभय पक्षों के समय एवं संसाधन के अपव्यय से भी बचा जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो० क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक-03.08.2021 को पारित आदेश एवं भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने की कृपा की जाय । अनुलग्नक :- यथोपरि ।

(शशांक शेखर सिन्हा)

परिचिट्ट-

and the

87-

पारांश्रक

संचिका संख्या- वि०(२७)पे०को०-५३/०४ - १७६५

विहार सरकार

पटना, दिनांक- 31. 8. 2005

संकल्प

विधयः दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेशन योजना ।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलीक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य हैं।

- 2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 ई०सी०वी० विश्व -22.12.2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद नियुवत किमेंयों के लिए वर्तमान में प्रचलिल पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। मिलवास्व भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय किमेंयों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम "विहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" होगा।
- 3. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति गान्य सरकार के अधीन दिसांक-01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, निक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कॉर्मयों स्था पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे ।
- ते. रिनोक-01.09.2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्णियों के गासिक वेतन विकास से मूल बेतन-अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के थाग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप के करोती की जायेगी. तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी
- 5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्नियों के अंशदान की कटीती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ हैंगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया है। तो अंशदान की कटीती अक्टूबर, 2005 वे नेगव से प्रारम्भ हेगी ।
- 6. योजना प्रवृत्ता होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान कानू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेशन नियमायली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की क्टीती नहीं की जायेगी ।
- 7. योजनान्तर्गत अशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का गयारण तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की छोगा।
- 8. तुई पेशन याजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की विद्यालीस) प्रतिशत राशि अतिवार्य खप से वार्षिकी खरीदने (आई० आर० डी० ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कुर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पुरेशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60(साठ) प्रतिशत राशि एक

संवानिवृत्त सरकारी सेवक की भुगतान कर दी जायेगी।

- 9. इस योजना के कार्यान्ययन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।
- 10. जब तक पेशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित गडी हो जाता है, तबतक कटीती तथा अंशदान की राशि लोक लेखा. में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्यान देय होगा ।
- 11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है की इस नई अंशदायी पेंशन योजना की अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के मुचनार्थ प्रकाशित क्रिया जाये

विहार राज्यपाल के आदेश से,

न्तापाक विक (१.7) मिक्री०-53 |04- पटना, दिनांक- 31.8 2005 वित्ता आयुक्त । प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी० एन० नारायणन, 31/8/5

MINIA Ma(47) do 10 53/04-1964 पटना, विनाय- 31. 8. 2 0005

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निवंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, विहार विधान सभा/सचिव, विहार विधान परिपद/सभी समाहता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित्र ।

उप सचिव ।

आयाम-18(27) 40 mt - 53/04-1964 पटना, दिनांक- 21. 8. 2005

प्रतिलिपि- संयुक्त. आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कापागार/उप कोपागार पदांधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित । ६


उप सचिव ।

11118-190(27) 15/04-53/04-1964 4EHI, RHIEF-31.8- 200)

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारवाग, पटना की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रापत !

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभए। (पंशनू कोषांग) को यथाशीच उपलब्ध काराया जाए । भगत चौधरी,

उप सचिव ।



X

No. 57/05/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, the 03rd March, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

- 2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.
- 3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.



- 4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.
- 5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.
- 6. The option once exercised shall be final.
- 7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by 31st October, 2023. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. 31st December, 2023.
- 8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding accountal of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:
 - i. Adjustment of Employees' contribution in Accounts: Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 &Rule 11 of GPF Rules).
- ii. Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts: To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 Deduct Recoveries under Major Head 2071 Pension and other Retirement benefit Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).

- iii. Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800-Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).
- 9. <u>All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail</u>. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.
- 10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.
- 11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
- 12. Hindi version will follow.

03. 03. 2023 (Sanjiv Narain Mathur)

Additional Secretary to Government of India

To,

- 1. All Central Government Ministries / Departments.
- 2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
- 3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
- 5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
- 6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
- 7. AD (OL) for Hindi version.
- 8. NIC for uploading on Department's website.



37 में इन्दे (प्राप्त कर करता में मुश्यक प्रकार कर नाम ने प्रमान कर कर नाम ने प्रकार कर करता कर करता है। महाने क्षेत्र करता है। महाने क्षेत्र करता कर नाम ने प्रमान कर नाम ने प्रमान कर करता है। महाने करता है। महान करता है। महाने करता है। महान करता है। महाने करता है। महान है। महान है। महान है

िल पुरान केन्द्रि करेंद्र है है कि विदेश है । पुरान केन्द्रिक करेंद्र है है कि विदेश है । पुरान केन्द्रिक करेंद्र है है कि विदेश है । पुरान केन्द्रिक करेंद्र है । कि विदेश है । प्रतिक्र होता करेंद्र है । प्रतिक्र होता करेंद्र है । प्रतिक्र होता करेंद्र करेंद्र है । प्रतिक्र होता करेंद्र करेंद्र है । प्रतिक्र होता करेंद्र करेंद्र है । प्रतिक्र होता के कि विद्या के कि करेंद्र है । प्रतिक्र होता के कि विद्या के कि करेंद्र है । प्रतिक्र होता के कि विद्या के कि करेंद्र है । प्रतिक्र होता के कि विद्या करेंद्र करेंद्र है । प्रतिक्र होता करेंद्र है ।

प्रशिक्त प्रती कर्मारेट्या के विदेशी हिराब एक्स विश्वक है। कराइन की विद्या हिराब एक्स के विद्या हिराब एक्स के क्रिक्ट क्रिक क्रिक

13. अवेटर पर सभे कामका हमित्र ते मित्रा (विहार स्थेत मेच व्यक्ति, छ.) अस्त्रा साथा नेक्स मार्ग (केसी केहे, प्रत्य- 800001 की निवासित काल के एक मार्ग को कि प्रतिकार निवासित मित्री तक आसीत कार्यालय में अमार क्रम

-		-	and there .	4	-	workers	30.0	6-0
- 12	and a	- ALTHOUGH	AS WITH	B 200	क्षदेन पा	market	-	1
	PPre	। सद में रुप्त	TOTAL T	বহুৰ স্থ	ET 12737			

क्षाका भार व प्रकारत पर प्रहुतका को छाउ। क्षेत्री के अपने क्षाका वे जान करने औद्या कर्य में अपूर्ण क्षांचीरता क्षारी के अक्षानक में हो असेका करेंगे। अन्य क्षांची का अपने का क्षा क्षा विद्याल करें कुता के भी भी। 17. क्षांचीरक छात्र किता की काँ तक परिदेश "क" हमं "क्षां में मेरे क्षित्री के क्षान के किता ते काँ तक अनुस्तान की करने मां कमने क्षांचीरकारों के क्षान के निर्माण का अनुस्तान की करने मां कमने

क्षा का जीवा के विकित्तों को संबद्ध समस्ति अप त्यक्त प्रशास हुए हुए तरह श्रेष्ट नाम के विकास सम्प्री आप्रोमीटत है।
 विकास रूप के तिकास रुप्पेट्य के ही आखा एवं गरील हुन्य का तथ्य विकास

21. विकटका उपकेश्वा अर्थन के प्रथमन के कहन पद्मिक्टी द्वार निर्मा इन्द्रन का को अधिकार्याना प्रति प्रस्तुत करेंगे।

उप सचिव क्रिया स्टोक सेवा आयोग, पट व

बिह्म स्क्रेक सेवा आयोग, पटना

46 में संयुक्त (प्रामिनक) प्रतिनदेशिया परिष्य, के लिए आकेट्र-पपः (अक्रोदन इपन मोटे कागर पर हो क्रोन घरिए)

क्रीगर-"क"

समुद्रकोर्ड :	
८ (४) उन्लेख्याका कर । प्रेस मेर्डिन्ड्रेस त	सपक्रम प्रकप पत्र में दर्ज हो)
(अंग्रेजी क्षेत्रियत संदर्धे में) :	मिश्रीवाद्यीय की कि
[-84	भर मार्थास स्टाब्स्स
किंक की स्व ना	
स्रोवन प्रकः	भूने क्रुट का साथ कर
पिन करेड :	म्बल सम्रा
म्च्ये गड :	±€:
	t servers & servers

विर्म प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की किया कि उस कि उस कि उस कि उस कि उस अपने कि उस कि उस कि कि उस कि उ

करनेता के का निर्माण के व्यवस्था के स्वार के स्वर के स्वर के स्वार के स्वर के स्

--- उन्बंद्या का इस्तक्तं (क) हिन्दी --

(छ) अंग्रेनी ---बिह्म लोक सेवा आयोग, पटना क्वी प्रयुक्त (क्रांप्लिक) प्रतियोगिता परीक्षा

चीरिय-"व उपस्थित पत्रक

	#pi6;
r	3-\$500 TH THE
2	Ter the avi
	क्त क्रिं रिश्लंड महीना
	₹
4	(() अंका क्षं(॥) स्वयं पर
5	ये जाका किये व्यक्तिया (1) (1)
6	वय उन्मेद्रमा विदेव योग्यंत पार करता है:- हां या नहीं।
7.	कालन को केनी अवस्था कोई काला कृत अवस्थित सार्वालय की
	अर्थित क्षेत्रक अर्था का सामग्र करें के स्वाद क्षेत्रक के क्षेत्रक करें कर्म

अम्बद्धार का शासका स. क्षेत्री वै ----स. अहेजी वै ---

्र प्रीक्ष कर में उपलेटका उपीच्छी पहार भर प्रीक्ष हक्षे प्रीक्षण है जनस्य प्रात्मा कार्ड प्रथम सुनिक्षित है स्मिति करके सुनने उर्करको परा के निक्षण क्या पर जोकर में प्रशंतक कर दिया है। यहि प्रयस्ति परा पर जोकक का प्रकार जा गो गोण में उस जिएन भी प्रतिक से प्रयोग्या है।

Certified Section Officer Binar Public Service Commission PATNA

है। मेरियार सिर्धा 3.02.2084.

बहार लोक सेवा आयं

ं 15 जवहर जाने नहरू मार्ग (बेली गेड) पटना - ४००००।

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

कर को प्रदेश्व होती;

के उन्हें के के को की बाद उपकेरणों करने बार किया है में है कि पंचा के किया उन्हें का उन्हें का कालाय के काद अर्थनार्थ के उन्हें के उन्ह

(त्रां) व्याप्त करणे अवस्थार प्रदेशकों हैं। हिंदी कर अपने के किए त्यार अवस्था के अब हैं। उन्योधकों को साधार करणे अवस्थार पर्योधकों है। त्रांचे का प्राप्त कर अपने अवस्थार पर्योधकों है। त्रांचे के हैं। त्रिक्त के लिए त्रांचे के त्रिक्त कर के लिए त्रांचे के त्रिक्त कर के लिए त्रांचे के त्रिक्त कर के लिए त्रांचे के त्रांचे त्रांचे के त्रांचे त्रांचे के त्रांचे के त्रांचे के त्रांचे

- क तर नरीज के पद्धार व पूर्वमा रहेंगे। करकर न का अंगा के मार्चन क्रीता का अनक क्रीता अपी

य जारायक मा त्या विरोक्त तर्थ पूर्वकार्य को करत। जारीकार पूर्व विराक्त को माँ पाय पोर्टीका 'क' को 'क पारंग विराक्त के संकार का तिर्ध का विरोध का मा अपने जारीकार्य के पार्ट के पार्ट के 'कि महत्त्व पूर्व - जा परिकार के पार्ट के प्रिकार प्रमान का प्रमान कार्य की की विरोध के कार्य को की की विराज कार्य के प्रमान के पार्ट के प्रमान की भी स्वीत कार्यों अपने की की कार्य कार्य के प्रमान की की की कार्य कार्य के प्रमान की कार्य के भी कार्य कार्य की की की कार्य कार्य की की की की की की की की की विराक्त कार्यों कार्य के पार्ट के कार्यों की समय कार्या कार्य की की

हें.!- उन स्थित विकासिक हैना आनोग, परण

बिद्धार लोक सेवा आयोग, पटना पेवुक (प्रार्थिभक) प्रतिप्रोतिक प्रतिका के निम् असकेट्न-प्रकः (मंगेरन प्रथम मोरे बनाज पा हो होना चाहिए)

er-Will

(27)

अस्वेदने प्रति को शित	11		
. १. उम्मीरका का न	THE STREET STREET	PRI STORY N 1	shike and a
अनेपर्व (क्रीका	क्षेत्रक में	स्था क्रमणा यह वें दर्ज हो) 	A STATE OF THE STA
from a reference	45.0	T-	वै वं
			RESIDENCE SPREAT
			Bry ANGENIE DES
2. (भ) उम्मेक्स	को उन्हेंद्रिक (प्रीट्रेक स हान	Andrew or personal and	THE PROPERTY LABOR.
fields	The state of the s	क्स के अनुसह)	S. Amilla Mallanian eine
177 84	- WW		School Militaries ether
पे संबंध की _		(क) क्या अस्य विकास साकार	AC ALCHINOSE HAA
विषाप करवंतर	和 平 体地	. (%) क्या अवय शिक्षम साक्रार	● HE-DE NAME(3) ☆
(६) दिसमा हे	The de all and after	\$ besterness - mercuses resembles	******
A		(ह) संबद्ध १	वर्ष प्रतिकेतिक अध्यादिक्षेत्र विके
क्रम्बारित कर अंग्रेट	9		THE PERSON NAMED IN
7 (A) MARA:	- आक्र को बेले, जरुश	207 2000 mi man a	को के जानीत्वासंहित का उसे
स्माना सम्म प्र	Mar and	The same of the second in	all of Alternative at 2 pt
र्कारक)		A SAN THE PROPERTY OF THE PARTY	BRUN BLE (420 2
-2	व्यवस्थान संभि को	国际 本 第二	· San Order Commercial
	(कृता क्ले क्लीन्त)	(9) fredice / sciencies	The state of the s
राम के कार्त हैं	ri vil brent - in		
67. Harfin x	7 min . m . mm	an an de mie [43	र :- अन्योक्ताम्बद्धाः व्याप्तः पिक्ते क्ष्रोत्वीतिका अपूर्णाः
	state of mount lottil	अर्थ - वर, नियम अर्थ वर्द	fuel refalling
बस्त भनेतीं त्य व	न अपने प्रमुख्य कर्	TOP WEST-06 (ii) Section i	पिकारे क्लेंड्डिक्सिक्स अनुसूचि केन्द्रे पिकारे/अस्त्रातिशे की महिला
विम क्षेत्र करे ह	क्या में तसी आवश्य की है	المستخداد الدائد	केनी विकारि अन्तर्भित्रे की महिला साम कारशन कीर क्षिण से अधि
क्रेंडि।(ए) क्रा	Transac function 4) and	को एवं उसके कोह के साथ : हो यो विकरचेगान का प्रतिवाद	नाम करका क्रास्थान से अधिक
A Markey shows	The same of the same	हा ना विकल्पाना का प्रतिकृत	
- months what	- 129 422	हा का विकास गाना कर प्रदेश :- 	I Paul
सन्त्रा का	- FOR TI	वर्ष असे का करें को असे का करें	by cultivations
5. मंगेसा सुरूप की	मेरे - महात केल ज	D 375	The state of the s
जन नाति के प्र	where the same or	s and State south 80 &	। किसा अन्य विश्वास अन्य अन्य केल द्वार विश्वास तिथे व
उसेक औ	CONTRACTOR CONTRACTOR	As aims aimes MEO.	THE STEEL STEELS THAN IN
and of him		(2)	
६. वा बहमान विद्या	ET (PROPE :- (4)	127	
É LIEN MINE		बेक्या	
र्व पंत्रम काताः		व्यक्ता	
में प्रेरम् कात्रः मही है। यदि क्षेत्रं सूत्रः	मते राज्या को का का का	व्यक्ता	
STREET THE ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	कारका। रहाते और विकास है, इस अर्थ क्या परिश्व है ऋते वा कर वे	कर कर कर व्यक्तिस्थालक हुने औ करि अकामकास्थालक अल्लाक के
STREET THE ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	कारका। रहाते और विकास है, इस अर्थ क्या परिश्व है ऋते वा कर वे	कर कर कर व्यक्तिस्थालक हुने औ करि अकामकास्थालक अल्लाक के
STREET THE ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	काक्या रक्तो और निकात है, इस आके अन्य पर्देश से करते या सह वें को मुन्दित कर दिशा है जि. में हम	एन वह की प्रशिक्षितको हुने को वर्षि अवकारकारको करेन के वर्षि अवकारकारको करेन के
STREET THE ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	कारपा। रकती और विकास है, इस आवे क्या परिश्व से फारों वा कट में को कृतिया कर दिया है जि में हम	on an all printings of all and an analysis of the analysis of
STREET THE ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	कारपा। रकती और विकास है, इस आवे क्या परिश्व से फारों वा कट में को कृतिया कर दिया है जि में हम	on an all printings of all and an analysis of the analysis of
STREET IN ST MARTE	वृति के अला करों जाता अ	कारपा। रकती और विकास है, इस आवे क्या परिश्व से फारों वा कट में को कृतिया कर दिया है जि में हम	on an and collections of the sale of the s
STREET THE ST MARTE	हुती चे जात करें का हुती चे जात करें जह अ	कावण्या व्यक्ती और विचात है, इस अर्थेत व्यक्त वर्षेत्रा है जारी चा बाद वें की कृषिय कर दिख है कि मैं हुक (क) जिन्हों में (क) अर्थेनों में	प्त कर को प्रशिक्षिकों हो जो वरि अकामानाकों करेग भे करेका के विकासिकाहर को है
STREET THE ST MARTE	व्यं क्रांत्रा वर्षे यह अ असे मन्त्रा श्री रहा अ असे मन्त्रा श्री स्टाप्टक	कारण्या स्थानी और विश्वास है, इस अर्थे क्ष्मा पर्वित्र हे फरते या कर वें को कृतिया कर दिश्व है कि वें हुक (क) अर्थाओं के कि लेका अस्तायोग, घटना	प्राच्या के विकास करें हैं। उर्वे कर कर के हैं। प्राच्या के विकास करें कर कर हैं।
STREET IN ST MARTE	व्यं क्रांत्रा वर्षे यह अ असे मन्त्रा श्री रहा अ असे मन्त्रा श्री स्टाप्टक	कारण्या स्थानी और विश्वास है, इस अर्थे क्ष्मा पर्वित्र हे फरते या कर वें को कृतिया कर दिश्व है कि वें हुक (क) अर्थाओं के कि लेका अस्तायोग, घटना	प्राच्या के विकास करें हैं। उर्वे कर कर के हैं। प्राच्या के विकास करें कर कर हैं।
STREET IN ST MARTE	व्यं क्रिका वर्षे यह अ असे मक्तिश्रीवंश्वरकक्ष	व्यवस्था क्यांच्या व्यवस्था और विश्वसा है, इस असी व्यवस्था परित्र से प्रदर्श के व्यवस्था को व्यवस्था कर दिख है कि मैं इस (क) असीओ से कि सोसा असोओ सु एटसू - क्योगिया असेओस्स प्रदेश	प्या का व्यो प्रशेषिकां हो। जो वर्षी जा का व्याप्त कारण हो। वर्षी जा का व्याप्त हो। है
STREET IN ST MARTE	मिहार हते अपे क्षेत्रका वर्षे जल अ	कारणा प्राच्या मेर्ड में कहा है हम अबेर प्राच्या परिश्व में कहा थे कहा थे को पूर्ववा कर देख है कि मैं हम (क) मैंडचे थे कि मोंबब आयोग, पटमा प्राच्यापक, प्रश्वितात्व परिश्व परिवाद में	प्या का व्यो प्रशेषिकां हो। जो वर्षी जा का व्याप्त कारण हो। वर्षी जा का व्याप्त हो। है
रामका रह केर क्षमक है 02. मैंने सिर्वाचन कर से विक्रिय	मिहार हते अपे क्षेत्रका वर्षे जल अ	व्यवस्था क्यांच्या व्यवस्था और विश्वसा है, इस असी व्यवस्था परित्र से प्रदर्श के व्यवस्था को व्यवस्था कर दिख है कि मैं इस (क) असीओ से कि सोसा असोओ सु एटसू - क्योगिया असेओस्स प्रदेश	प्या का व्यो प्रशेषिकां हो। जो वर्षी जा का व्याप्त कारण हो। वर्षी जा का व्याप्त हो। है
पानक रह केंद्र क्रम्ब्य है 02. मैंने हिटीकन क्रम से दिनि	विद्धार हो। विद्धार हो।	कारणा प्राच्या मेर्ड में कहा है हम अबेर प्राच्या परिश्व में कहा थे कहा थे को पूर्ववा कर देख है कि मैं हम (क) मैंडचे थे कि मोंबब आयोग, पटमा प्राच्यापक, प्रश्वितात्व परिश्व परिवाद में	प्या का व्यो प्रशेषिकां हो। जो वर्षी जा का व्याप्त कारण हो। वर्षी जा का व्याप्त हो। है
पारका रह मेर कारक है 02. मैंने हिरीकर कर से दिनि	हित का साथ का आहा आहे का का मही जात अ आहे महीला मिल्लाका मिल्ला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने	करणा करना करने हैं कर है हम अर्थ करने आ कि कर है कर वे कर दें के मुंबर कर देख है कि दे हक (क) मुद्देश क-मेबर आयोग, पटमा मंद्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रविच्छा अर्थिकों कर पीर्क प्रविच्छा - 'क' प्रविद्धार प्रक्रिक्ट के	or we all collections by the second or the s
पारका रह मेर कारक है 02. मैंने हिरीकर कर से दिनि	हित का साथ का आहा आहे का का मही जात अ आहे महीला मिल्लाका मिल्ला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने	करणा करना करने हैं कर है हम अर्थ करने आ कि कर है कर वे कर दें के मुंबर कर देख है कि दे हक (क) मुद्देश क-मेबर आयोग, पटमा मंद्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रविच्छा अर्थिकों कर पीर्क प्रविच्छा - 'क' प्रविद्धार प्रक्रिक्ट के	The state of the s
पारता रह केंग कारक है 02. मैंने हिरीकर करा है दिनि	हित का साथ का आहा आहे का का मही जात अ आहे महीला मिल्लाका मिल्ला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने अही महीला हुने	करणा करना करने हैं कर है हम अर्थ करने आ कि कर है कर वे कर दें के मुंबर कर देख है कि दे हक (क) मुद्देश क-मेबर आयोग, पटमा मंद्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रविच्छा अर्थिकों कर पीर्क प्रविच्छा - 'क' प्रविद्धार प्रक्रिक्ट के	ा पर भी जीवितात पूर्व के जीविता करा है। जीव अपन का स्थापित करों के प्रेस्टिंग के प्रेस्टिंग के प्रेस्टिंग के प्रेस्टिंग के प्रेस्टिंग के प्रस्ति के प्रेस्टिंग के प्रस्ति के प्
पारत पर की करेक है (2. में) हिरीकर कर है दिन 	्रहेंच भाग करें जा है को भाग करें जा !! जो समामध्यात्रका सिह्मा हो अर्थ मेनू	करणा करना करने हैं कर है हम अर्थ करने आ कि कर है कर वे कर दें के मुंबर कर देख है कि दे हक (क) मुद्देश क-मेबर आयोग, पटमा मंद्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रविच्छा अर्थिकों कर पीर्क प्रविच्छा - 'क' प्रविद्धार प्रक्रिक्ट के	प्राच को अभिवासिको पूर्व के जी अपना सामानिक स्थाप की प्राचीत के विद्यासिक प्राच्य की स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक
पारत ए का करत है (2. में) हिरीकर कर है दिन 	्रहेंच भाग करें जा है को भाग करें जा !! जो समामध्यात्रका सिह्मा हो अर्थ मेनू	कारणा प्राच्या मेर्ड में कहा है हम अबेर प्राच्या परिश्व में कहा थे कहा थे को पूर्ववा कर देख है कि मैं हम (क) मैंडचे थे कि मोंबब आयोग, पटमा प्राच्यापक, प्रश्वितात्व परिश्व परिवाद में	प्राच को अभिवासिको पूर्व के जी अपना सामानिक स्थाप की प्राचीत के विद्यासिक प्राच्य की स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक
पारत ए के कंपन है १८. में दिग्निक कर है दिन स्पृत्रपालें है जिस्सी कर	्रहेण अस्त का का को अस्त करों जस ; जो समाज्येत्स्य करों विस्तर हों असे अंकृत (व	करणा करना करने हैं कर है हम अर्थ करने आ कि कर है कर वे कर दें के मुंबर कर देख है कि दे हक (क) मुद्देश क-मेबर आयोग, पटमा मंद्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रक्रिक्ट प्रविच्छा अर्थिकों कर पीर्क प्रविच्छा - 'क' प्रविद्धार प्रक्रिक्ट के	प्रशासी के प्रशासी के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया के किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया
प्रपास एवं से कांक है १८. में निरीवन कर से रितेत अनुस्तानंत्र का पूर्व क्षेत्र कर कर से क्षेत्र कर कर से (8) क्षेत्र कर कर से (10) क्षेत्र कर कर से	विद्वार हो तथा अपने व्याप्त के प्रश्ने के प्रिके के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्रश्ने के प्	करणा प्राची और विश्व है हम अहे प्राची और विश्व है करों या कर में की मुंबर कर देख है हि में हुक (क) मुद्देख (क) मु	प्राच को अभिवासिको पूर्व के जी अपना सामानिक स्थाप की प्राचीत के विद्यासिक प्राच्य की स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक प्राच्य स्थापक के विद्यासिक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक स्थापक के व्यापक
परका ए के र क्रांक्स है 92. मैंने निरीयक कर में निर्में अपने क्रिक्स कर प्रमा क्रिक्स क्रिक्स कर प्रमा क्रिक्स क्रिक्स कर (1) सर्वेक्स प्रमा क्रिक्स क्रिक्स कर क्रिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर कर करिक्स कर करिक्स करिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर करिक्स कर करि	विह्ना को प्राप्त करें प्राप्त अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने	कारणा कारणा आहे हिला है हम अके जब्द गरीश है करों व कर में के ज्वार कर देश है कि मैं हक (क) मेर्नुका कर देश है कि मैं (क) मार्नुका (क)	प्रशासी के प्रशासी के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया के किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया
परका रह केन करता है 22. मैंने तिरीवन कर से निर्में अपने कर केने कर्मा कर	विकास क्षेत्र के अपना क्षेत्र के अपन क्षेत्र	करणा कार्या केंद्र सिका है, इस अवेत कार्या केंद्र सिका है कि मैं हुक कार्या केंद्र कर दिवा है कि मैं हुक (क) अनेत्र कें (क) अनेत्र केंद्र अस्ति में एटमा (क्रियोर प्रकार कार्या अस्ति प्रकार कार्या कार्या कर्या	प्राच को प्रशिक्षिक पूर्व के व्यक्ति स्वरंग स्वरंग के व्यवित्रंग स्वरंग के व्यवित्रंग स्वरंग स्व
पास्ता (द का कांग्रह है 12. मैंने तिरीक्ष कर में निर्देश अनुस्तरकृत 1. जन्मीत्वर का एक् 1. जन्मीत्वर का एक् 1. जन्मीत्वर का एक् 1. जन्मीत्वर का एक् 1. (1) प्रकेश पाट (1) पाट	विकास करें जा अ	करणा क्या आहे हिला है, हुए अहें क्या गर्देश है करों व कर में क्या गर्देश है करों व कर में क्या कर रेख है कि मैं हुए (क) अरेखें में क्या अर्थायोग, पटमा परिचार परिचार गर्देश परिचार क्या कर में परिचार कर में	The second second is a second
प्रस्ता (द केन क्यांस है 02. मेंने निरीयन क्या में निर्में क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता (व) प्रस्ता क्यांतिकार क्यांतिका	विद्वार को स्थापन कर स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप	करणा क्या आहे हिला है, हुए अहें क्या गर्देश है करों व कर में क्या गर्देश है करों व कर में क्या कर रेख है कि मैं हुए (क) अरेखें में क्या अर्थायोग, पटमा परिचार परिचार गर्देश परिचार क्या कर में परिचार कर में	The second second is a second
प्रस्ता (द केन क्यांस है 02. मेंने निरीयन क्या में निर्में क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता क्यांतिकार का प्रस्ता (व) प्रस्ता क्यांतिकार क्यांतिका	विद्वार को स्थापन कर स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप	करणा क्या आहे हिला है, हुए अहें क्या गर्देश है करों व कर में क्या गर्देश है करों व कर में क्या कर रेख है कि मैं हुए (क) अरेखें में क्या अर्थायोग, पटमा परिचार परिचार गर्देश परिचार क्या कर में परिचार कर में	The second second is a second
परका (द केन क्यांक है (2. मैंने तिरीक्ष कर में निर्णे अपने कर केने अपने कर केने क्यांकित का पर क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) वर्षक्रित का पर (1) वर्षक्रित का पर (1) वर्षक्रित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क	विद्वार को स्थापन के स्था	करणा कार्या केंद्र सिका है, इस अवेत कार्या केंद्र सिका है कि मैं हुक कार्या केंद्र कर दिवा है कि मैं हुक (क) अनेत्र कें (क) अनेत्र केंद्र अस्ति में एटमा (क्रियोर प्रकार कार्या अस्ति प्रकार कार्या कार्या कर्या	The second second is a second
परस्ता (द कर कांग्रस है 12. मैंने तिरीवन कर में निर्देश स्टिंग्स कर में स्टिंग्स कर कर में	विद्वार को स्थापन के स्था	करणा क्या आहे हिला है, हुए अहें क्या गर्देश है करों व कर में क्या गर्देश है करों व कर में क्या कर रेख है कि मैं हुए (क) अरेखें में क्या अर्थायोग, पटमा परिचार परिचार गर्देश परिचार क्या कर में परिचार कर में	The second second is a second
परका (द केन क्यांक है (2. मैंने तिरीक्ष कर में निर्णे अपने कर केने अपने कर केने क्यांकित का पर क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) वर्षक्रित का पर (1) वर्षक्रित का पर (1) वर्षक्रित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (4) क्यांकित का पर (5) क्यांकित का पर (6) क्यांकित का पर (7) क्यांकित का पर (8) क्यांकित का पर (9) क्यांकित का पर (1) क्यांकित का पर (2) क्यांकित का पर (3) क्यांकित का पर (4) क	विद्वार को स्थापन कर स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप	करणा कारणा जैरा प्रकार है पर सके कारणा के करों वा कर में की उर्ज़वा कर देख है कि मैं हुक (क) अने के कि नीवा आयोग, घटना उर्जाणा अने की कार्यना परिस् परिस्कृत के की कार्यना कराया करे की कारणा अने की कार्यना कराया करोज़ को की कार्यना अस्ति कारणा अस्ति कराया कराया कारणा कर्या कर्या कराया कराय	प्राची व्यवस्था व्यस्था व्यवस्था व्यस्था व्यवस्था व्यवस्या व्यवस्था
पराला (द अंत कामा है 02. मेरी तिरीक्ष कर में निर्देश अनुस्त्राच्छेल 1. क्रमीरिका का प्रम् 2. मिक्क प्रमेशिक का प्रम् 3. मिक्क प्रमेशिक का प्रमा (1) प्राचेशक का 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रमीरिका	विद्वार को स्थापन के स्था	कारणा कारणा के प्रकार है पर अवे कारणा की को को का कर में की मंत्रण कर देख है कि मैं हुए (क) मेरने के कि मेंबर आयोग, पटमा मंत्रणा अपेकी में परिचारी पडका) कि मेंबर का मान्य परिचारी पडका) कि मेंबर का मान्य परिचारी पडका)	The state of the s
पराला (द अंत कामा है 02. मेरी तिरीक्ष कर में निर्देश अनुस्त्राच्छेल 1. क्रमीरिका का प्रम् 2. मिक्क प्रमेशिक का प्रम् 3. मिक्क प्रमेशिक का प्रमा (1) प्राचेशक का 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रिक 5. प्रमा कार्यक्षिक क्रमीरिका	विद्वार को स्थापन के स्था	कारणा कारणा के प्रकार है पर अवे कारणा की को को का कर में की मंत्रण कर देख है कि मैं हुए (क) मेरने के कि मेंबर आयोग, पटमा मंत्रणा अपेकी में परिचारी पडका) कि मेंबर का मान्य परिचारी पडका) कि मेंबर का मान्य परिचारी पडका)	The state of the s
परका (द के व काल है 02. में ने तिरीक्ष कर में निर्मित्र कर में निर्मित्र कर में मित्र कर्मात्म का एक मित्र कर्मात्म का एक मित्र कर्मात्म की क्षेत्र कार्यक्र में क्षित्र कार्यक्र में क्षित्र कार्यक्र में क्षेत्र कर में कार्यक्र में क्षेत्र कर में	विद्वार को का अपने का	कारणा कारणा है, इस अकी कारणा की करों का कर में की मंत्रण कर दिल है कि में (क) मेरी के कि मेंका आयोग, घटमा परिचारी पडका) परिचार का परिचार का परिच	decks as being a particular of the particular of
प्राप्ता (द केन क्यांस है 02. मैंने निर्मित्र कर में दिनि अपनेत्र कर मा पन है. जिस्मी प्रमुख्य कर मा पन है. जिस्मी प्रमुख्य कर मा पन (हैं) प्रमुख्य कर मा है. जो कर निर्मुख्य है. जो कर निर्मुख्य है. जो कर निर्मुख्य अपनेत्र कर में लिए अपनेत्र कर में लिए कर में कर मा	विद्वार को का अपने का	कारणा कार्या और विकास है, इस अवेत कार्या और विकास है कि मैं इस कार्या कर देख है कि मैं इस (क) अने के कि कार्या अर्था के कि कार्या अर्था के कि कार्या कर्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या (2) (2) (3) अर्थ के (4) अर्थ के (5) अर्थ के (6) अर्थ के	ा वर वर्षे व्यवस्थित हुने के वर्षे वर्षे अपना स्थानिक स्थान की व्यवस्था स्थानिक स्थान की व्यवस्था स्थानिक स्थान की व्यवस्था स्थानिक स्थान स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थ
पराजा रह कर कारण है 02. मेरे तिरीकर कर में निर्देश अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य (8) पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य अपनेता कर पराज्य	विहार हो। वार्त स्वतंत्र प्रकार कर	कारणा व्याची आहे हा अहे व व्याची और विश्व है हा अहे व व्याची और विश्व है कर व व्याच वे के मुंबा कर देव है कि मैं हुए (क) मुद्देश (क) मुद्देश	The second secon
भारता (द केन क्यांस है 02. मेंने निर्माण कर में निर्माण मान्या कर केन्द्रिया का एक 1. जन्मीत्रका का एक 2. मिक्क ग्रीट्स का एक 3. जन्म ग्रीट का एक 4. (1) सर्वेणका का 4. (1) सर्वेणका का 5. एक प्रत्ये का प्रत्ये 5. एक प्रत्ये का प्रत्ये 5. जन्म ग्रीट का प्रत्ये कार्यका के के के करना अवस्थित के के के करना अवस्थित के के करना अवस्थित के के करना अवस्थित के के करना अवस्था के के करना अवस्था करने क्यां	विद्वार को का अपने का	कारणा कारणा और मिला है, इस अके कारणा में कर में का कर में की मुंबर कर देख है कि मैं हुक (क) मोन्स के (क) मोन्स के की के उनकार कर कि	इंड्राव्यक्त कर्या अधिकार के विकास कर्या अधिकार कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या कर्या अधिकार कर्या करा अधिकार करा करा करा करा करा करा करा करा करा
भारता (द केन क्यांस है 02. मेंने निर्माण कर में निर्माण मान्या कर केन्द्रिया का एक 1. जन्मीत्रका का एक 2. मिक्क ग्रीट्स का एक 3. जन्म ग्रीट का एक 4. (1) सर्वेणका का 4. (1) सर्वेणका का 5. एक प्रत्ये का प्रत्ये 5. एक प्रत्ये का प्रत्ये 5. जन्म ग्रीट का प्रत्ये कार्यका के के के करना अवस्थित के के के करना अवस्थित के के करना अवस्थित के के करना अवस्थित के के करना अवस्था के के करना अवस्था करने क्यां	विद्वार को का अपने का	कारणा कारणा और मिला है, इस अके कारणा में कर में का कर में की मुंबर कर देख है कि मैं हुक (क) मोन्स के (क) मोन्स के की के उनकार कर कि	इंड्राव्यक्त कर्या अधिकार के विकास कर्या अधिकार कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या विकास कर्या अधिकार कर्या कर्या अधिकार कर्या करा अधिकार करा करा करा करा करा करा करा करा करा
पाला (द केन कार्या है 02. मी निरीयन कर में निर्मित्र क्रिमित्र क्रिमीटकर का पण क्रिमीटकर का पण क्रिमीटकर का पण (1) प्रोत्तेकर कर प्राप्त क्रिमीटकर कर प्राप्त (1) प्रोत्तेकर कर प्राप्त (1) प्रोत्तेकर कर प्राप्त क्रिमीटकर कर कर प्राप्त क्रिमिटकर कर कर प	विद्वार को का अप का	कारणा कार्या और विकास है, इस अवेत कार्या और विकास है कि मैं इस कार्या कर देख है कि मैं इस (क) अने के कि कार्या अर्था के कि कार्या अर्था के कि कार्या कर्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या कार्या कर्या (2) (2) (3) अर्थ के (4) अर्थ के (5) अर्थ के (6) अर्थ के	प्राच को प्रशिक्षिक पूर्व के व्यक्ति स्वयं का स

Times of bolis - 05-11-2004



विस्तान संस्त किंग डी०-40



BEF TUE

असाधारण अक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(संध पटना ५७६)

् ६ आपाद् 1929 (रा०) पटक बुधवार 27 जुन 2007

कार्यिक एवं उत्पासिक मुपार विभाग

ऑयस्वा

18 जुन 2007

सी-12670-1002/2007का0-6360-विहार खोंक सेवा अपनेत की अल्पी संपुष्त प्रविमानिता नहीं से आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए निन्नितिवाद 42 (बन्नीटेंग) अनुसारित सम्पर्धियों को अमीलिया वार्ता के अभीन चेतन्त्रक 6506-10,500- में सरकार द्वार समय-वारत पर स्कृति अनुसन्त्र पत्ती के साथ औनसीयक रण से परीव्यक्त उप-संग्रह जी के रम में नियुक्त नित्या स्वास है।

संगोपत परीक्यनान उप काळती यो उनके नाम के पामछ अस्तित विशों में व्यवहारिक प्रतिक्षण हेतु परस्थिति.

किया जाता ।				
्राम स्रो	T	ग्रंपुत्रव मेथा जन्मेक	आरहण स्मिति	श्यदास्त्रं प्रतिपान हेतुः सर्वस्ति विसा
j	1	j j	1	3
1	ह्री मीठ शुक्रांक	1	रत्मान्यः	पटन
2.2	बी मीर जफ्र आसम	7	सम्ब	्र पाँका
	का सहस्र स्थाप विक	12	साधन	FIGURE 1
4	नो सहस्य कृता	1 4 3	सम्ब	Tompy (
3	त्री सन्त संका अस्तर	a in a	रागन 🐪	र्वेताल १००
6	भारतिमध्याद्यसम्बद्धाः	16	्रामस	भेपर (प्रमुख)
7	Alexic evitor	117	राजन	in in
8	ति-व्यक्तिक प्रसार — <u>—</u>	18	अपन ।	फोटार -
9.	ત્રી/કૃત્યાહ હક્ષ્મકા	19.	समा	भवादा ।
(0)	Significan	20	Times .	पोत्रपुर (अग्रह)
- 11 P	निर्मालक्ष सम्ब	112	· ggti-	Transfer of the second
. Par	को प्रमुखनाता सम	. 23	tions.	भूषा 💮
	डी संदेशीयका		राजदा 💮	अस्ति ।
<u>u</u>	Religion -	436	110年	VEHIVIK

Tru No	भाग संस्थान	संगुबत सेशा कामांक	आरक्षण स्थिति	व्यवहारिक प्रविध्यम हेतु आवटिक जिला
	S. M. Steine	Jak	•	
14 Wall 5	द्रीगती विद्वारा विक	26	्र मापान्य उत्तर विकास	अर्थगापाद
16	वी पुणरा माध्य	27	सामान्य	आएं (ट्रमर)
17	हो सुधीर जन्म	70	सामान्व	न जीसराच
. 18	ब्री परमान्यद्भात	10	रतमान	ग्य गोपानगॅन
19	थी मोध जापनक केरनद	31	सामान्य	The state of the s
20	क्षी प्रमात-भारत	32	सानान्य	सीवार -
	धी विवेश	35	পিডাড়ী স্থারি	aledin .
112	यो प्रिय रेजन अन्	36	अत्यन्त पुछुद्दी जाति	पश्चिम चम्मारण
. 2	श्री अगोद्ध माना	40	पिछड़ी जाति	नु ब फ्करपुर
24	मी मीठ नुरुद्धा ऐन	43	अत्यन्त पिछड्डी जाति	स्रोतामदी
25	श्री पनीज कुमार पदन	45	पिछड़ी बझते .	शिवहर
26	श्री विनोद् मुहमाद	46	দিভট্ট ভারি	पूर्व चन्परम
27	श्री मों। चाराह होत	47	अत्यन्त पिछडी जाति	वैशाली
28	क्षी पीटर पुसार	49	अत्यन्त मिछड्डी चाति	्र ा र्भगा ।
的现在分词的现在分词的现在分词的	श्री एजेश कुमार	51	पिछड़ी नारी	पटना,
	श्री प्रभात भूषण	53	अत्यन्त पिछड्डी जाति	मधुननी अन्य
	मुर्थ रेग कार्य	-56'	पिछड़ी बर्जि महिला	सहस्या.
是一个人,不是一个一个人的。 第一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	स्रो शाहनवार्ज अहमर नियाजी	57	अत्यन्त भिछड्डो जाति	समस्तीपुर
	त्री में 0 पुनुस संसर्व	61	अत्यन्त पिछड्। जात	34
	त्री पुरल हक स्थितं	62	. अत्यन्त पिछड्डी जाति 🦠	चेपुसप्रयः 🚎 📰
	श्री प्रवेश कुम्मर	63	अत्यन्त पिछड्डी चाति	सूर्याल -
	त्री वृजेश कुमार	70	अनुसूचित चाति	मधेपुरा
THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	र्श विधानाय भारतन	137.	अनुसूचित चाति	्रांभवी - विकास
	त्रो पणवदन	169	अनुस्कित जाति	अर्पिया 🕶
	ने नाख जुनार	187	अनुस्चित भाति -	् किश्चगांच ·
	क्षेप्रकार उत्तर	- 197	- अनुसुरुव-चाति	कांट्राह
al q	ब्रि प्रवर्त्तर्गरी अवस्ति	199	अनुस्चित जाति	, वनकारपुर, जी
(9)	ी सुर्वात सम्बद्ध	206	अनुस्पितः, जाति	पागलप्र

चरपुरता आपवीपमा विद्यालयों निम्हारिकत सत्ती के अपीन को बाती है...

ं (क) स्थायों/ आस्योंया पर्वे को प्रतिन एवं पूर्वपूर्व सत्यापन संबंधी कोई प्रतिनृत्त प्रतिमंदन प्राप्त होने पर ठनको सेवा आरवादिक प्रभाव से नित्तत काण्या उनकी है।

(क) समित प्रमाण पर कार्यात रोसीनिया अन्य प्रमाण प्रयो को सामुच्टि में स्वेट कोई प्रीकृत प्रविद्धार प्रमुख होता में उन्हों नेता आकारिक इसर से बंद की अस्सवेती एवं अवस्थत विषक करवा, मी को जारेन

ं हो। ओपनापन १४ को इस्मा अमा पराह्ममान दम समाहती अपने नाम भी समझ वास्तिका जिले में पत्र मास्ति एक पन भी जन्म भीमना प्राप्ति एक प्रोप्त को पन भीमन एवं प्राप्तिक सम्बद्ध समामान को अपने में


्यत् वतानक एक अग्रेसा के क्षेत्रक तथा तथा वस स्वीतित नहीं हो सकता, वहि उसके उन्हें क्ष्मित को बेटने। स्वीतित्र होते के कि अपने क्षित्र के क्ष्मित्र के स्वीतित नहीं हो सकता, वहि उसके उन्हें क्ष्मित के विद्यान के स्वीतित्र होते के स्वतित्र के कि क्षमित्र के सम्बद्धि के स्वीतित्र के स्वीतित्र के सम्बद्धि नहीं कि स्वीतित्र स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के सम्बद्धि क्षमित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के सम्बद्धि के स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र के स्वीतित्र क्षमित्र के स्वीतित्र के स्वीत

भाग वहा । सम्बन्ध सामन्ता विशास-सम्पास की महरता हो । जानिए सुमानती । सामार की साहित्या

ार्थित शिवन सामानिकार पुत्र स्वरूपता, पुटन साम्युक्तावा ता (स्वरूपत) मिलालय सुरमाना, बिना, बटन इति सिन्धा साम्युक्तावाका (स्वरूपता) स्वरूपता हैति सेन्धा



विद्वार लोक सेवा आयोग 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रीड), पटना - 800001 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एस



कार्वी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु चयनित कुल 224 समीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिल्ला 12.01.2009 से 14.01.2009 की अविध में सम्पन्न हुआ। उक्त मीखिक परीक्षा/साष्ट्रात्कार में बार उम्मीदवार अनुक्रमांक 129046, शम्मु कुमार क्रिस अनुक्रमांक 129060, हरिश्चंद्र नाथ, अनुक्रमांक 138612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 148820, संजय नारती ने भाग नहीं लिया। शेर 200 उम्मीदवारों की, उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों की जोड़ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त क्रमिक मेघा सूची ही अधीन, राज्य संवर्ग / सेवाओं के लिए उनके द्वारा इंगित अधिमान-क्रम को प्रश्रय देते हुए वयनित सेवा के लिए उनकी सूर्याग्यता तथा आ

P4 -	1 100000000		क्रमा	निम्नाकित उम्मीदवारों आर्कटत आळाण र रोस्टर रिक्त			क नाम	神田	वापत किया जाता
(1)	flett u	प्रात्तनिक सेवा:	21 37	T trick (tipe)	1 18			香用書	आवटित आस्त
1.	134330	I erzeiger mene Beidig	7 5	सामान्य) अवर निव		1 - 110	रोस्टर रिक्ति
2.	107027	1 41.64	8	सामान्द	1.4		राजेश कुमार सिंह	30	सामान्य
3.	110993	3 av well de	7	सामान्य	4		ऋषि खुमार सिन्हा	32	सामान्य
4.	124075	गीरज कुमार दास	8	शाम्बस्य	4	9. 100061	प्रमाद कुमार	39	पिछडा वर्ग
5.	142539	राम्यु नाध	9	सम्बद	1 5	0. 184957	संजय कुमार	4	
6.	103574	किशोर कुमार	10	रसनान्य	5	105170	मनीय कुमार	80	पिछड़ा वर्ग
7.	128331	संजीव कुमार	11	सामान्य	52		मेंडन कमार	-	अत्यंत पिछदा वर्ग
8.	- 118188	दुगंश कुमार		- NO. 100 -	(5	जिला अह	राम पदाधिकारी:	172	अनुसूचित जाति
9.	102012	यन्द्रशेखर आजाद	12	सामाना	53	101014	चुन्मन यन्द्र दर्मा	-1	
10.	119308	राकेश कुमार	13	सामान्य .	54	130063	प्रदील कुमार सिंह	31	सामान्य
11.	163082	गिरिजे :: कुमार	14	स्त्रभाग्य	55		राजेश कुमार	34	स्थानान्य
12	150349	अनिल कुमार तिवारी	15	सामान्य	56			36	सामान्य
13.	161769	देवेन्द्र प्रताय शाही	16	सामान्य -	57		कुन्दन सास	45	सामान्य
14.	147319	शिश रुकर	17	सामान्य	58		र्यलेन्द्र जुप्पर	47	सामान्य
15	102328		48	सामान्य	59		विजयानम्द्र राजेश	193	अनुसूचित जाति
16	108254	म्धु काल	20	सम्बन्ध		2	घनस्यान चीवदास	194	अनुसूचित जाति
17.	164893	रेतिश यन्द्र दिवाकर	21	सामान्य	60	कारा अधीर 127127		3 (204) 33	
18	151005	नीवू सिंह	22	समान्य	61	The second second second	स्क्रेस अंदर्भ	37	सामान्य
-		रामानुज प्रसाद सिंह	23	सायन्य	62	S STATE OF THE PARTY OF THE PAR	विजय कुमार अरोड़ा	41	सामान्य
19.	103584	अवितेश कुमार	26	पिछदा वर्ग		A SECRETARY OF THE PARTY OF THE	जवहर तात प्रभाकर	4	सामान्य
0.	100004	अमिताम कुमार गुप्ता	28	পিছতা বৰ্ণ -	63.		राजीव कुमार झा	49	सामान्य
1.	190314	स्रेन्द्र कुमार अलबेला	29	पिछड़ा वर्ग	64		विद्या भूषण पिश्रा	- 51	सामान्य-
2.	162303	संजय कुमार सिंह	33	पिछड़ा वर्ग	65.	400	- भनोज कुमार	53	सामान्य
3.	156938	अशोक जुमार गुप्ता	35	अत्यंत विग्रहा वर्ग	66.	149150	रंजीत जुमार महाकर	54	निप्रदा वर्ग
4.	105134	अनु मुनन्द	43	সন্দর মিচরা বর্গ	67.		रापेन्द्र उनार	91	अस्पंत पिछडा वर्ग
5	130441	प्रतिक सिन्हा	48	पिछका वर्ग की महिला	68	183416	मोती तत्त	115	अल्पेत पिछड़ा वर्ग
6	113825	र्ड प्रकाश	52	अत्यंत विकडा वर्ग	69.	164997	चनस्वर् ध्रीयरी	190	अनुस्मित जाति
7.	116220	कदूम अंतारी	64	अत्यंत विस्त्रा वर्ग	70.		अन्स पासवान	195	अनुसूचित जाति
8.	132587	उत्तम अन्यार	85	भिज्ञा क्र्म (विकलांग)	(7) 3	हायक निका	क, सहयोग समितियाँ:	A TORNARY OF THE	- Till att gibti
9_	123076	अजिनुत्ताह अंसारी	78	अत्यत पिछका कर्	11.	120733	संबंध कुमार सिंह	38	स्त्रमान्य
0.	140103	नुकेस जुनार	78	अत्यत पिछड़ा वर्ग	72,	171217	बीरेन्द्र शम्प्र	42	सामान्य
1.	138304	इरेन्द्र राम	104	अनुसुपित जाति	73.	120099	मन्त्रथ प्रताद	60	विछडा वर्ग
2	112104	बमार धन-जय	128		74,	103206	मो. इरजाम आलम	88	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
3.	127912	अरूप प्रकारा	143	अनुस्थित जाति	75.	127584	राज कुमार	96	अत्यंत पिछडा वर्ग
4.	125401	विद्यात अनन्द	185	अनुसूचित जाति	76.	112272	बाब राजा	29	
5.	136005	मनि भूषण किशार	168	अनुसूचित जाति	77.	145036	कम्बर स्टेहतता	102	अत्यंत पिछडा वर्ग
-	156491	नवीन कुमार		अनुसूचित जाति	78.	151078	वकारूत ज्या	120	पिएडा दर्ग की महिला
	दम बार्ट	सेवा	171	अनुसूचितं जाति	79.	149469	अन्त कुन्तर	121	अत्यंत विग्रहा वर्ग
	112655	उक्का केमंद	To London		80.	148700	संयुक्तम	131	अत्यंत पिछडा यर्ग
-		अरुण कुमार झा	381-3	सामाय	(8) 3	विना एवं छ	ननम्बं पदाधिकारीः	131	पिछड़ा वर्ग की महिला
-	255171	राजेश कुमार सिंह प्रमाकर	2	सम्मान्य	81.	158658	चित्र कुमार	E .	A SECTION OF SECTION
-	116255	क्य रजन हरगडे	3	तामस्य	-	111875	अलेतान अस्ति	55	सामान्य .
_		मन्त्रज कुनार	2.4	सम्पन्य	83.	111982	अन्येल क्षेत्रार	57	सोमान्य
	dedes.	THUI BUIL	56	अनुस्रक्षित जाति	84.	130748	मुक्त नारायन सिंह	58	सामान्य
			PENDER Y	Company of the second		117512	दिन्द्र अध्ययन सिंह	59	सामान्य
-		नोन्द्र प्रताम सिंह	24	राम्यून्य	-	166788	Tiple School	61	सामान्य
-	22021	मुक्त कुमार	25	सामान्व	17.	125486	अनंत कुमार		पिछड़ा वर्ग
	22921	श्रीतकाना चतुर्वदी	27	सामान्य	4/1-		निन्द्र कुनान दिवाकर	1112	अनुसूचित जाति
-	58434	रवि रजन आलोक		अत्यंत पिछका वर्ग		the state of the state of	No.	-	2 8

2 उपर्युक्त 220 उम्मीदवारों में से अनुक्रमांक 111581, नीलाम कृष्ण (मैया क्रमांक-19) एवं अनुक्रमांक 171822, शारी शेखर (मेब क्रमांक-40) द्वारा सेवाओं के लिए दिये गये आशिक अधिमान-क्रम के अधीन उनके उक्त मेचा-क्रमांक तक तदनुसार रिक्ति शेष नहीं रही, जिस कारण उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जा सकी है; उक्त दो उत्मीदवारों ने उक्त सनी आठ सेवाओं / पदों के लिए अपना अधिमान-कन

3. परीक्षाफल के मुद्रण की किसी त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

उपर्युक्त परीक्षाकल आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

5 उपर्युक्त परीक्षा में भाग तेने वाले सभी उम्मीदवारों के लह्यांक दिनांक 3001 2000 से आयोग के उक्त वेबसाईट पर प्रकारित रहेंगे

तिथि: 24 जनवरी, 2009

Section Officer Bihar Public Service Commission PATNA

उप समिव-सह-परीक्ष नियंत्रक बिहार लोफ सेवा आयोग, पटना

Annexure 1047

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001 (Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar General Secretary Mob. No.- 9431409463

Date 13.07.2021

Memo No 21

सेवा में

ice President d. Moeezuddin 9304951290

Ajay Kumar 9835**737317**

oint Secretary ubodh Kumar 7979919465

opal Sharan 8210342042

Treasurer
I Kumar Tiwary
9431085120

int Treasurer Mona Jha 9430881025 प्रधान सचिव, सामान्य-प्रशासन-विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

विषय:- 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाम मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग:--

- (1) CWJC No-10901/2006 मो० कयुमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक—03.08.2011 को पारित आदेश।
- (2) अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक—01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पूरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार है;

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक—14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या—6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक—31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

W

- 4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक—24.205 को 47वीं संयुक्त (प्रा॰) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति स्निन) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।
- 5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित विश्वी। अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते है;
- (क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की 📸 है।
- (ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गर्ही।
- (ग) 47वीं संयुक्त प्रंतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु औयाचना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 गालोक में की गयी है।
- 6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार क्रिक्तिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के कि में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।
- 7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं0—10901/2006 के कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश आप्रित संलग्न) पारित है;

"It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue invour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacance have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after ginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

- 8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों / कर्म को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।
- 9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार संकल्प संठ 1964 दिनांक 31.08.2005 की कंडिका 3 एवं कंडिका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को खिल एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए ब्लितरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलंग्नक:-यथोपरि।

(अनिल कुमार) महासचिव विश्वासमान (शशांक शेंखर हिहा) अध्यक्ष



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No. 10901 of 2006

Md.Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram

Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaon, District Bhagalpur

3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna- 000014

Patna Od 1914
 Soeria Karikai D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Latta PS Nawgachhiya, District Bhagalpur
 Shashibhusilan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
 Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village District Nalanda

Bishnupur, P.O. Ranipar, P.S. Noorsarai, District Nalanda

7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road Beur, P.S. Gardanibagh, Anisabad, District

Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. A.S. Madhopur Ram, District Vaishali
 Jitendra Kning Sinha, son of Shri Ramprit Prasad, resident of Flage Kata, P.S. Atari, District Gaya

Versus 1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar,

2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna

3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna

4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna

5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna

6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna

7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

Respondents

For the petitioners: Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.

For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20

For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.

3.8.2011

Having heard counsel for the parties as with regard

to the following relief:

"That this is an application for issuance of a writ in the nature of mandamus directing and commanding



ine respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.92005 or thereafter, shall have to be a member of the nawly contributory find scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension."

this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Sarvice Commission had ultimately recommended the names of petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40th candidate and above 41th candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41th candidate.

The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2600 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The

(22)

petitioners and the similarly situated? persons alike the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as with regard to lowering qualifying mark in the written test for the Gastward attegories. This Court in its judgment dated 16.5.2002 in L.P.A.No. 1283 of 1999 and its analogous cases infact had upheld such claim and had directed the Commission to redetermine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made

07

such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein OF PM Can of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will be below Sl.No. 40 and above Sl.No. 41 of the earlier list dated 12th May, 2003. Consequently such recommendation of the petitioners had not only been accepted by the Government but an offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005 communicating that the Government had already decided them to appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give their option of three districts for their respective place of posting. While all these things had already happened, the Government had taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the Government service will not be entitled to the existing policy of pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and they would be governed by a new contributory pension scheme framed by the government. Eventually when the petitioners were

aiso appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier scheme It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the master of service condition as was given to other persons including a erson below them in the merit list.

Somed counsel for the Commission has clarified mission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roaster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below SI.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12th May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all

WEB

other benefits including seniority to which were extended to other 41 Drug Inspectors appointed earlier in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.

In that view of the matter, this Court would find it difficult to accept the submission of the learned counsel for the es given only one explanation by way of justification of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment letter of the potitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005 e automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to the appointees of the year 2003. This Court however would fail to understand the logic of such submission, inasmuch as when the petitioners were subjected to same selection process in terms of the same advertisement and ultimately their case was recommended by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended and appointed, it would be difficult to accept such justification given by the State Government that the petitioners still will be deprived of the benefit of the old pension scheme because they were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the petitioners that the Commission and/or the Government did not follow its own policy of following its decision regarding lower qualifying marks for the candidates belonging to backward

1-



category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the high has been given to the originally recommended

candidates.

WEB

It is infact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that ald vacancies have to be governed by the old rules and the Rules coming into force after beginning of OF prices of election as per old Rules cannot be made applicable. Reference in this connection may be usefully made to the

judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) I SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming

into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained Gn onexine 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petit oners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Rengion Rules to the petitioners as was extended to Inspectors appointed out of the same advertisement

and transaction.

(Mihir Kumar Jha, J.)

Surendra/

3150212 - IX

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 23/2 /2022

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary.

	Petition	er
	Versus	
Th	e State of Bihar and othersResponder	nts
	Subject:- Govt. Service-Others (Gazetted)	
	<u>INDEX</u>	
Sl No.	Particulars	Page nos.
Sy	nopsis	
1. In the	matter of an application under Article 226 of the	
7.46522(69	Constitution of India	, 1-10
2. Anne	exure-1 Series A copy of the aforesaid advertisements pub	blished
	in February 2004 and 05.11.2004	11-12
3. Anne	exure-2 Series A copy of the final result of 46th and 47th b	atch
	officers so published on 27.06.2007 and 24.01.2009	
	BPSC, Patna	
4. Anne	exure-3 A copy of the Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 is	sued
	by the Department of Personnel and Administrative R	afaa
	Government of Bihar (now GAD, Government of Bih	(16-17)
5 Anne	exure-4 A copy of the aforesaid representation contained	in
	Memo No. 21, dt.13.07.2021	in 18-24
6. Vaka	llatnama.	
J. , and		

2812

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 23/2 /2022

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary.

.....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others

...Respondents

Synopsis

Relief Prayed for:-

For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46th and 47th Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department, Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46th and 47th Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrarily and discriminately by the respondent authorities, and

II

3 8 12

For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case

Relevant date with brief facts:-

February 2004 and 5.11.2004: Advertisement for appointment to the existing older vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Bihar Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in the Hindi Daily Dainik Jagran, Hindustan and as well as English daily Times of India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46th and 47th batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination.

Annexure-1 Series.

11.10.2005: At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46th and 47th Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005. Annexure-3

27.06.2007 and 24.01.2009: The Preliminary Competitive Examination of the 46th and 47th Batch for older vacancies were held prior to May 2005(24.04.2005) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009. Annexure-2 Series

13.7.2021: Petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011 passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46th and 47th batch are being deprived of their legal entitlement. Annexure-4 Hence the urgency of the present case.

40/12

Filed through:
Abhay Shanker Singh, 29/01/2022
Abhay Shanker Singh, Adv.

AOR No. 01994

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 23/2 /2022

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

AND

In the matter of:-

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sri
Anil Kumar, son of Late Raja Ram Singh, aged about 56 years, Male, having
its office at BASA BHAWAN, North of Income Tax Golamber, J.M. Nehru
Marg, Patna
---- Petitioner

Versus

- 1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna
- 2. The Principal Secretary, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
- 3. The Principal Secretary, General Administration Department, Government of Bihar, Patna
- 4. The Commissioner, Finance, Government of Bihar, Patna

5012

- 5. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
- 6. The Bihar State Public Service Commission through its Secretary, Jawaharlal Nehru Road, Patna
- 7. The Accountant General, Bihar, Patna

--- Repondents

To

Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the Hie Court of Judicature at Patna and his companion Justices at the said Court

Humble application on ball of the aforesaid petitioner

Most Respectfully Sheweth:

- 1. That the petitioner Association beseeches indulgence of this Horble Court for the following relief/s:
 - (a) For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give thenefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46th and 47th Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department, Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46th and 47th Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff

6 of 12

date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrary and discriminately by the respondent authorities.

- (b) For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.
- 2. That the issues of seminal importance raised in this writ petition are as follows:
 - i. Whether the members of petitioner association who were appointed in pursuance to advertisements published before 01.09.2005 user 46th and 47th batch for the older vacancies, are not entitled to obtain scheme and the Resolution of the government vide No. 1664 dt. 31.08.2005 is not applicable to them?
 - ii. Whether the members of petitioner association appointed in to and 47th batch of the BPSC are being covered under new pensionscheme in most mechanical, arbitrary and unreasonable manner?
 - iii. Whether non-inclusion of members of petitioner association arounted in 46th and 47th batch under the old pension scheme deprivement of their right as guaranteed under Article 14, 16, 21 and 3004 of the Constitution of India?
- 3. That it is stated that the Petitioner is an Association of Biss State Administrative Service Officers with Registration No. 663/2003 under Societies Registration Act, 1860 and this writ petition is being filed trough its General Secretary in representative capacity because the issue raised herein affects all the members of the petitioner Association; so prointed through Advertisement for 46th and 47th Joint Competitive Examinations of BPSC and is of common interest.

4. That it is stated that the advertisement for appointment to the existencer vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Final Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in Findi Daily Dainik Jagran, Hindustan and as well as English daily Findi India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46 147th batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination (those Finted through this are hereinafter referred as 46th-47th batch officers).

A copy of the aforesaid advertisements whithed in February 2004 and 05.11.2004 are as Annexure-01 Series.

5. That it is stated that the Preliminary Competitive Examination of 46th and 47th Batch for older vacancies were held prior to May 2005(241105) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009 results.

A copy of the final result of 46th and ** tatch officers so published on 27.06.2 and 24.01.2009 by BPSC, Patna is an as Annexure-2 Series.

- 6. That in respect of the 46th and 47th Joint Competitive Examon, following facts are pertinent to be considered:
 - (i) The advertisements were published by the respondent Bill Molic Service Commission in February and November 2004 respecting for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was multipore the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory mion scheme.
 - (ii) The Preliminary Tests were held prior to May 2005.

8 \$ 12

- (iii) The requisition for Bihar Administrative Service pursuant to 47th Joint Competitive Examination were sought by the BPSC vide Letter No. Letter No. 430, dt. 06.05.2005, again much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.
- (iv) The appointments against the older vacancies upto 2001-02 were covered under circular no. 502 dated 2-11-2002 of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar), as is evident from Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar)
- (v) At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46th and 47th Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005.

A copy of the Letter No. 10059 dt.

10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms,

Government of Bihar (now GAD,

Government of Bihar) is annexed as Annexure '03' to this writ petition.

7. That it is stated that in light of aforesaid, the older vacancies of the Bihar Administrative Service for the 46th and 47th Joint Competitive Examination were notified prior to the cutoff date of 01.09.2005 relevant for the new pension scheme and the process had begun under the old rules for the older vacancies and as such the old pension scheme shall be applicable for them.

9 0/12

- 8. That it is stated that under similar circumstances, some of the Drug Inspectors who were appointed after 1-9-2005 but pursuant to old advertisement and selection process had preferred a writ petition vide CWJC No. 10901 of 2006 claiming that they would not be covered by the resolution of government regarding applicability of new pension scheme to the effect that those appointed on 01.09.2005 and thereafter, shall have to be a member of newly contributory Pension fund scheme, and they claimed to be treated to have been appointed prior to dt. 01.09.2005 for pension purpose and the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dt. 03.08.2011 with observation that it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules, cannot be made applicable.
- 9. That it is stated that the petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46th and 47th batch are being deprived of their legal entitlement.

A copy of the aforesaid representation contained in Memo No. 21, dt.13.07.2021 is annexed hereto as Annexure '04' to this writ petition.

10. That it is submitted that as the advertisements were brought before the cutoff date 01.09.2005 and the process of selection was initiated under old pension scheme under Bihar Pension Rules, the members of petitioner association under 46th and 47th batch, are entitled to old pension scheme.

- 11. That it is submitted that the delay in the process of selection on amount of litigation or otherwise cannot be attributed and made detrimentar the members of 46th and 47th batch selected BASA officers and it was my due to the procedural requirements and other exigencies on part of the respondents.
- 12. That the action/inaction on the part of the respondents is unjust, war and arbitrary and as such the same is violative of Article-14 of the Conduction of India.
- 13. That it is submitted that the deprivation of 46th and 47th batch of petitioner Association from benefits of old pension scheme und Bihar Pension Rules is violative of Article 14, 16, 21 and 300A of the Contution of India.
- 14. That it is stated that the petitioner has not preferred any other wratition for the relief /s prayed herein.
- 15. That it is stated that the petitioner does not have alternative effectious remedy than to prefer this writ petition.

It is, therefore, prayed that your longers be graciously pleased to admit the appearion issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to the reliefs prayed for above may not be inted and upon return of the rule and esuch cause as may be shown and after heart the counsel for the parties be pleased make the same absolute.

11 412

And/or

Pass such order/orders as your lordships may deem fit and proper in the given facts and circumstances of this case.

And for this the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Anil kumar aged about 56 Years, (Male), son of Late Br. Ram Ram Singh, resident of Village-Sareyan Basnat, P.O – Rampur Kesho Amnour P.S. – Taraiyan District – Saran, do hereby solemny state and affirm as follows: -

- 1. That I am Secretary of the Petitioner Association in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
- 2. That the contents of this writ petition have been drafted under my instructions and I have read the contents thereof which I have fully understood.
- 3. That it is stated that the averments made under Para 3.1.6P. 9P and 14 are true to the best of my knowledge and under Para 4.5.6P. 4P. 8 and 9P are true best of my information and the rest are by way of submission before the Hon'ble Court.
- 4. That the annexure/annexures are true copy of the original's copy.

महास्त्रकार सहस्रकार सहस्त्रकार विकास केवा क्षेत्र विकास विकास